रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092022-238995 CG-DL-E-22092022-238995

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4241] No. 4241] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 22, 2022/भाद्र 31, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 22, 2022/BHADRA 31, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 21 सितम्बर. 2022

का.आ. 4425(अ).— यत:, मै. स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तिमलनाडु लिमिटेड ने तिमलनाडु राज्य के सिपकॉट उद्योगिक विकास केंद्र बरगुर, उथनगरई एवं पोचामपल्ली तालुक, कृष्णागिरी जिले में ग्रेनाइट संसाधन उद्योगक सेवाओं हेतु एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राजपत्र सं. का.आ.595(अ) दिनांक 15 मार्च, 2010 एवं का.आ.2835(अ) दिनांक 09 अक्टूबर, 2015 के तहत् उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में क्रमशः 153.830 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित एवं 58.290 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनिधसूचित किया था;

और यतः, मै. स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से 34.83 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, तमिलनाडु सरकार ने उनके पत्र सं. 12387/एमआईई.2/2021-2 दिनांक 10 फरवरी, 2022 के तहत प्रस्ताव को सहमित दे दी है;

6333 GI/2022 (1)

और यतः, विकास आयुक्त, मेप्ज़् विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 34.83 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनिधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है। इसके अलावा, अनिधिसुचित क्षेत्र मैसर्स चेय्यार एसईजेड को अतिरिक्त भूमि के रूप में आवंटित किया जाएगा;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 34.83 हेक्टेयर क्षेत्र को अनिधसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 60.71 हेक्टेयर हो जाएगा। अनिधसूचित क्षेत्र के लिए निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित एस.एफ. संख्यायें और क्षेत्र शामिल है, अर्थात्:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम सं.	गाँव का नाम	एस.एफ. संख्या	सब डिवीज़न	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	बालेथोटटम, पोचमपल्ली तालुक	726 भाग	-	14.8933
2.		31/भाग	-	0.2513
3.			1 भाग	0.9714
4.			2 भाग	0.4700
5.		32	3 भाग	0.2460
6.		1/भाग	-	0.0640
7.			3 भाग	0.2160
8.	-	4	4 भाग	0.8620
9.			1 भाग	0.1730
10.	-		2 भाग	0.5960
11.			3 भाग	0.5370
12.	-ओलायपट्टी, उथनगरई तालुक	5	4 भाग	0.5070
13.	-		1	0.3600
14.	-		2	0.2450
15.	-	6	3	2.0250
16.]		1 भाग	0.1540
17.]		2 भाग	2.4750
18.]	7	3 भाग	0.6070
19.	1	8	1	2.5320
20.	1		1	0.5450
21.]		2	2.0050

22.		9	3	1.9850
23.		10	2 भाग	1.6830
24.		24	1 भाग	0.0450
25.		25	2बी भाग	0.3820
कुल				34.8300
उपयुक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल				60.7100

[फा. सं. एफ-1/44/2009-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2022

S.O. 4425(E).— Whereas, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for granite processing industries sector in SIPCOT Industrial Growth Centre, Bargur, Uthangarai and Pochampali Taluk, Krishnagiri District in the State of Tamil Nadu;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, notified an area of 153.830 hectares and subsequently, de-notified an area of 58.290 hectares at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Gazette Notification Numbers S.O. 595(E) dated 15th March, 2010 and S.O. 2835(E) dated 09th October, 2015, respectively;

AND, WHEREAS, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited has now proposed for de-notification of 34.83 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Tamil Nadu has given its approval to the proposal vide letter No. 12387/MIE.2/2021-2, dated 10th February, 2022;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 34.83 hectares of the Special Economic Zone. Further, after the denotification, the area will be allotted to M/s. Cheyyar SEZ as an additional land;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 34.83 hectares, thereby making resultant notified area as 60.71 hectares. The S.F. numbers and the areas for de-notification are given below in the table, namely: -

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

Sl. No.	Name of Village	S.F. No.	Sub Division	Total area (in hectares)
1.	Balethottam, Taluk	726 Part	-	14.8933
2.	Olaipatti, Taluk Uthangarai	31/Part	-	0.2513
3.		32	1 Part	0.9714

4.		2 Part	0.4700
5.		3 Part	0.2460
6.	1/Part	-	0.0640
7.		3 Part	0.2160
8.	4	4 Part	0.8620
9.		1 Part	0.1730
10.		2 Part	0.5960
11.		3 Part	0.5370
12.	5	4 Part	0.5070
13.		1	0.3600
14.		2	0.2450
15.	6	3	2.0250
16.		1 Part	0.1540
17.	7	2 Part	2.4750
18.		3 Part	0.6070
19.	8	1	2.5320
20.		1	0.5450
21.	9	2	2.0050
22.		3	1.9850
23.	10	2 Part	1.6830
24.	24	1 Part	0.0450
25.	25	2B Part	0.3820
	34.8300		
	60.7100		

[F. No. F-1 /44/2009-SEZ] VIPUL BANSAL, Jt. Secy.